

# ब-अदालत, अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर०ई०आर० केस नं०-07/23-24

दिलीप कुमार भगत बनाम् सूचित पंडित वगै०


21.07.2023


—:आदेश:—

वर्तमान वाद आवेदक दिलीप कुमार भगत, पे०-स्व० नित्यानंद भगत, सा०-बनियाडीह, थाना व अंचल-ठाकुरगंगटी, जिला-गोड्डा के आवेदन पर मौजा-रूंजी नं०-255, जमाबंदी नं०-99, दाग नं०-07, रकवा-01-10-00 धूर जमीन से विपक्षीगण सूचित पंडित, पे०-स्व० महेश्वर पंडित, परीक्षित पंडित, पे०-सूचित पंडित, सा०-रूंजी, सूर्यनारायण पंडित, पे०-अगनू पंडित, सा०-लाहाडीह, पीयूष ठाकुर, पे०-स्व० तारकेश्वर ठाकुर, अनिल कु० ठाकुर, पे०-परमेश्वर ठाकुर, नकुल देव साह, पे०-स्व० भगवान साह, सा०-रूंजी, गौतम कु० मंडल, पे०-स्व० श्याम सुन्दर मंडल, सा०-बनियाडीह, राहुल साह, पे०-जयकांत साह, आशीष कुमार, पे०-दिनेश मंडल, सा०-रूंजी, सभी थाना व अंचल-ठाकुरगंगटी, जिला-गोड्डा को संचाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-20 एवं 42 के तहत उच्छेद करने हेतु दायर वाद पर प्रक्रिया प्रारंभ किया गया है। तदनुसार उभय पक्ष द्वारा निर्गत नोटिस के विरुद्ध न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कागजात दाखिल किया गया। सुनवाई के क्रम में मध्यस्थकर्ता प्रमोद कुमार, पे०-स्व० सूर्यनारायण भगत व नीरज कुमार, पे०-देवनारायण भगत, सा०-बनियाडीह, अंचल व थाना-ठाकुरगंगटी, जिला-गोड्डा द्वारा भी उपस्थित होकर कागजात दाखिल किया गया।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी के पत्रांक-291/रा०, दिनांक-30.05.2023 द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकनोपरांत पाया कि प्रथम पक्ष एवं मध्यस्थकर्तागण के बीच आपसी बंटवारा को लेकर स्वत्व निर्धारण संबंधी विवाद है, जिसका निष्पादन सक्षम न्यायालय से संभव है। साथ ही मध्यस्थकर्तागण के द्वारा न्यायालय में अधिवक्ता के माध्यम से बयान दाखिल किया गया है कि उनके द्वारा जमीन की बिक्री द्वितीय पक्ष को नहीं की गई है। प्रासंगिक भूमि पर यदि विपक्षी द्वारा अथवा अन्य व्यक्ति का अवैध दखल हो तो, उसे संचाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-20 एवं 42 के तहत उच्छेद किया जाता है। तदनुसार आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

  
21.07.23  
अनुमंडल पदाधिकारी,  
महागामा।

  
21.07.23  
अनुमंडल पदाधिकारी,  
महागामा।

Dec 3  
21/07/23  
31/07/23